समाहरणालय, गोड्डा

(डी०एम०एफ०टी० कोषांग)

dmftgodda@gmail.com

अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०..04../2021

ज्ञापांक-..187../DMFT गोड्डा, दिनांक- 27 जुलाई, 2021

जिला खनिज फॉउण्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा के द्वारा स्वीकृत योजनाओं की जाँच/पर्यवेक्षण एवं स्थल भ्रमण तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यो के निष्पादन हेतु क्षेत्र भ्रमण के लिए 02 (दो) चार पहिया वाहन (Mahindra Bolero/Tata Sumo) की आवश्यकता है।

जिला खनिज फॉउण्डेशन ट्रस्ट कार्यालय, गोड्डा के लिए चालक सहित वाहन (Mahindra Bolero/Tata Sumo) की आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से दिनांक-06.08.2021 के अपराह्न 01:00 बजे तक निम्नांकित शर्त्तो के तहत् कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

आवश्यक शर्ते :-

1. आपूर्ति हेतु प्रस्तावित वाहन का निबंधन वाणिज्यिक वाहन (Commercial Vehicle) के रूप में होना अनिवार्य होगा।
2. कोटेशटनदाता को कोटेशन के साथ PAN CARD एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. कोटेशटनदाता को कोटेशन के साथ वाहन का निबंधन प्रमाण-पत्र, वाहन का वैध बीमा प्रमाण-पत्र (Insurance Certificate) एवं चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. वैसे इच्छुक वाहन आपूर्तिकर्त्ता जो निविदा में सफल होने के उपरान्त नई वाहन क्रय कर आपूर्ति करेंगे:-
   i. उन्हें निविदा में भाग लेने हेतु ₹10,000.00 (दस हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट **जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा** के नाम से निर्गत एवं **गोड्डा** में भुगतेय होगा।
   ii. असफल कोटेशनदाता को जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट अविलम्ब वापस कर दिया जायेगा।
   iii. सफल कोटेशनदाता को वाहन आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुकुल आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
5. वाहन के विपत्र का भुगतान मासिक किया जायेगा।
6. वाहन के रख-रखाव इत्यादि के खर्च का वहन वाहन आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा किया जायेगा।
7. चालक के पारिश्रमिक का भुगतान वाहन आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा किया जायेगा।
8. सेवा में त्रुटि पाये जाने अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में वाहन को मुक्त कर दिया जायेगा।

9. वाहन आपूर्तिकर्त्ता के चयन का अधिकार DMFT कार्यालय, गोड्डा के पास सुरक्षित रहेगी।
10. कोटेशन के साथ संलग्न कागजातों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के उपरांत न्यूनतम दर के आपूर्तिकर्त्ता को वाहन आपूर्ति के लिए स्वीकृत किया जायेगा।
11. किसी भी समय बगैर कारण बताये इस सूचना को रद्द किया जा सकता है।
12. कोटेशनदाता निबंधित डाक द्वारा/हाथों-हाथ जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा के कार्यालय में दिनांक-06.08.2021 के अपराह्न 01:00 बजे तक कोटेशन जमा कर सकते है।

Chandan 27/07/21

उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव,
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,
गोड्डा।

नोडल पदाधिकारी
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट
गोड्डा
26/07/21

ज्ञापांक-...187.../DMFT गोड्डा, दिनांक- 27 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि न्यूनतम तीन दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना तकनीकी पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि गोड्डा जिला के वेवसाईट http://godda.nic.in पर इस सूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गोड्डा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Chandan 27/07/21

उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव,
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,
गोड्डा।

नोडल पदाधिकारी
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट
गोड्डा
26/07/21